इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 47] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 23 नवम्बर 2012—अग्रहायण 2, शक 1934

भाग ४

विषय-सूची

(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक.
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम.
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अन्तिम नियम.

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अन्तिम विनियम

मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग

पंचम तल, मेट्रो प्लाजा, ई-5, अरेरा कालोनी, बिट्टन मार्केट, भोपाल—462016

भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2012

क्र. 3148-म.प्र.वि.नि.आ.-2012.—विद्युत् अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 181(1) तथा 181(2) (जेडए एवं जेडबी) सहपठित धारा 57, 59 एवं 86(1)(i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग, एतद्द्वारा, दिनांक 28 अक्टूबर 2005 को अधिसूचित मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (वितरण अनुपालन मानदण्ड) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2005, को पुनरीक्षित करता है:

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
(वितरण अनुपालन मानदण्ड) (द्वितीय पुनरीक्षण)
विनियम, 2012 [क्रमांक आर.जी.–8(II), वर्ष 2012]

अध्याय – 1

प्रारंभिक (Preliminary)

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ (**Short Title and Commencement**)

1.1 ये विनियम "मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, (वितरण अनुपालन मानदण्ड) (द्वितीय पुनरीक्षण)विनियम 2012 [क्रमांक आर.जी.–8(II), वर्ष 2012] कहलाएंगे।

1.2 ये विनियम मध्य प्रदेश राज्य में विद्युत के वितरण में संलग्न सभी अनुज्ञप्तिधारियों को लागू होंगे ।

1.3 इन विनियमों का विस्तार पूर्ण मध्य प्रदेश राज्य होगा ।

1.4 ये विनियम मध्यप्रदेश शासन के मध्य प्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होंगे ।

अध्याय – 2

परिभाषाएं एवं उद्देश्य

2 परिभाषाएं (**Definitions**)

2.1 इन विनियमों में जब तक संदर्भ अन्यथा न हो:

(ए) "अधिनियम (Act)" से अभिप्रेत है विद्युत अधिनियम, 2003 (केन्द्रीय अधिनियम वर्ष 2003 का क्रमांक 36);

(बी) "आवेदक (Applicant)" से अभिप्रेत है, कोई व्यक्ति, कंपनी, फर्म या स्थापना जो अधिनियम एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों तथा विनियमों, में विनिर्दिष्ट अनुसार विद्युत प्रदाय, अनुबंधित मांग/स्वीकृत भार में वृद्धि या कमी करने, स्वामित्व अन्तरण, विद्युत प्रदाय के संयोजन विच्छेद या उसके पुनर्संयोजन या अनुबंध के समापन हेतु, जैसा कि लागू हो, हेतु आवेदन कर रहा हो;

(सी) "अधिकृत प्रतिनिधि (Authorised Representative)" का संदर्भ वितरण अनुज्ञप्तिधारी के उन सभी अधिकारियों, पदाधिकारियों अथवा प्रतिनिधियों से है जो वितरण अनुज्ञप्तिधारी के सामान्य अथवा विशिष्ट प्राधिकार के अन्तर्गत अपने कृत्यों का निर्वहन कर रहे हों;

(डी) "प्रदाय का क्षेत्र (Area of Supply)" से अभिप्रेत ऐसे क्षेत्र से है जिसके अन्तर्गत एक अनुज्ञप्तिधारी अपनी अनुज्ञप्ति द्वारा विद्युत प्रदाय हेतु प्राधिकृत हो;

(ई) "अंकेक्षण प्रतिवेदन (Audit Report)" से अभिप्रेत ऐसे प्रतिवेदन से है जिसके संबंध में वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आयोग को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान विवरणों के साथ प्रस्तुत किये जाने की अपेक्षा की जाती है, जैसा कि वह विनियमों में विनिर्दिष्ट की गई क्रियाविधि के अनुसार है;

(एफ) "आयोग (Commission)" से अभिप्रेत है मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग;

(जी) "उपभोक्ता (Consumer)" से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जिसको इस अधिनियम या तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि के अधीन, सार्वजनिक विद्युत प्रदाय के कारोबार में लगे हुए अनुज्ञप्तिधारी या सरकार द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसके स्वयं के उपभोग के लिये विद्युत प्रदाय की जाती है और इसमें ऐसा व्यक्ति सम्मिलित है जिसमें अनुज्ञप्तिधारी, सरकार या अन्य व्यक्ति के कारोबार से यथास्थिति उसके परिसर को तत्समय विद्युत प्राप्ति के लिए जोड़ा गया हो;

(एच) "वितरण अनुज्ञप्तिधारी (Distribution Licensee)" से अभिप्रेत है ऐसा अनुज्ञप्तिधारी जो अपने प्रदाय के क्षेत्र में उपभोक्ताओं को विद्युत प्रदाय के लिए वितरण प्रणाली के संचालन और संधारण के लिए प्राधिकृत हो;

(आई) "वितरण प्रणाली (Distribution System)" से अभिप्रेत तार/तन्तु तथा संबद्ध सुविधाओं की प्रणाली से है जो पारेषण लाइनों के वितरण बिन्दु या उत्पादन स्टेशन संयोजन (कनेक्शन) के मध्य उपभोक्ताओं के संस्थापन के संयोजन बिन्दु के बीच सुविधाएं बनाने के लिय संस्थापित की गई हो;

(जे) "ईएचवी/ईएचटी (EHV/EHT)"से अभिप्रेत है अतिरिक्त उच्च वोल्टेज/अतिरिक्त उच्च दाब (जिसका वोल्टेज स्तर 33000 वोल्ट से अधिक है);

(के) "विद्युत प्रदाय संहिता (Electricity Supply Code)" से अभिप्रेत है मध्य प्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 समय–समय पर यथा संशोधित;

(एल) "फोरम (Forum)" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (5) के अन्तर्गत प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी द्वारा 'उपभोक्ताओं के विवाद प्रतिपोषण हेतु गठित मंच (फोरम)';

(एम) "फ्यूज–ऑफ काल (Fuse-off Call)" का संदर्भ उस शिकायत से है जो इन विनियमों में वर्णित कारणों से एवं जिसमें विद्युत की पुनर्स्थापना विनियमों के अनुसार सन्निहित हो;

(एन) "शिकायत (Complaint)" से अभिप्रेत है प्रभावित व्यक्ति द्वारा दायर की गई व्यथा/शिकायत;

(ओ) "शिकायत निवारण विनियम (Grievance Redressal Regulation)" से अभिप्रेत है, यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) विनियम, 2009;

(पी) "ग्रिड संहिता (Grid Code)" से अभिप्रेत है विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86(1)(एच) के अनुसार तैयार किये गये सिद्धान्तों तथा मार्गदर्शन का सेट;

(क्यू) "संगतता (Harmonics)" से अभिप्रेत है आवर्ती तरंग (periodic wave) का एक भाग जिसकी आवृति (फ्रिक्वेंसी) 50 हर्ड्ज के आधारभूत (Fundamental) ऊर्जा रेखा आवृत्ति का इन्टिगरल गुणात्मक है जो वोल्टेज अथवा करेंट के शुद्ध सिनुसोयडल वेवफार्म में विकृति (distortion) उत्पन्न करती है जैसा कि आई.ई.ई.ई. एस.टी.डी. 519–1992 यथा, "आईईईई रिकमेण्डैड प्रेक्टिसिज एण्ड रिक्वायरमेंटस फॉर हारमोनिक कन्ट्रोल इन इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम्स" तथा तत्संबंधी मानक से संचालित हो एवं जैसा कि अधिनियम की धारा 185 की उपधारा (2) के अनुच्छेद (सी) में विनिर्दिष्ट हैं;

(आर) "एचवी/एचटी (HV/HT)" से अभिप्रेत उच्च वोल्टेज/उच्च दाब (जिसका वोल्टेज स्तर 650 वोल्ट से अधिक किन्तु 33000 वोल्ट से अनाधिक हो);

(एस) "आईईजीसी (IEGC)" से अभिप्रेत है केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा अनुमोदित भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता (Indian Electricity Grid Code) तथा इसमें सम्मिलित है अधिनियम की धारा 79 की उपधारा (1) के अनुच्छेद (एच) के अंतर्गत केन्द्रीय आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट कोई ग्रिड संहिता;

(टी) "राज्यान्तरिक पारेषण प्रणाली (Intra State Transmission System)" से अभिप्रेत है अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रणाली को छोड़कर विद्युत पारेषण की अन्य कोई प्रणाली;

(यू) "अनुज्ञप्तिधारी (Licensee)" से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जिसे अधिनियम के अन्तर्गत आयोग द्वारा अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है तथा इसमें शामिल है एक माना गया अनुज्ञप्तिधारी;

(वी) "एल.टी (LT)" से अभिप्रेत है निम्न दाब (जिसकी सामान्य परिस्थितियों के अंतर्गत वोल्टेज 650 वोल्ट से अनाधिक हो);

(डब्लू) "मध्य प्रदेश अधिनियम (MP Act)" से अभिप्रेत है मध्य प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम 2000 (क्रमांक 4, वर्ष 2001);

(एक्स) "ग्रामीण क्षेत्र (Rural Areas)" से अभिप्रेत है ऐसे क्षेत्र जैसा कि इन्हें मध्य प्रदेश शासन द्वारा अधिसूचित किया गया हो;

(वाई) "राभाप्रेके (SLDC)" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (1) के अन्तर्गत स्थापित केन्द्र जिसमें शामिल है राज्य में पूर्व से कार्यरत राज्य भार प्रेषण केन्द्र (State Load Despatch Centre) जिसका नियंत्रण केन्द्र जबलपुर में स्थित है तथा जो राज्य में विद्युत प्रणाली के सुसंगठित संचालन को सुनिश्चित करने हेतु एक सर्वोच्च संस्था है;

(ज़ेड) "राज्य पारेषण इकाई (State Transmission Utility)" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा इस रूप में विनिर्दिष्ट शासकीय कम्पनी;

(एए) "नगरों तथा शहरों (Towns and Cities)" से अभिप्रेत है ग्रामीण क्षेत्रों में असम्मिलित क्षेत्र; और

(बीबी) "प्रयोक्ता (User)" से अभिप्रेत है एक व्यक्ति, जिसमें सम्मिलित हैं मध्य प्रदेश राज्य स्थित विद्युत उत्पादन कम्पनियां, वितरण अनुज्ञप्तिधारी तथा खुली पहुंच वाले उपभोक्ता, जो राज्य पारेषण प्रणाली का उपयोग करते हों तथा जिनके लिये ग्रिड संहिता के उपबन्धों का परिपालन किया जाना अनिवार्य हो।

2.1.1 प्रयुक्त शब्द एवं अभिव्यक्तियां, जो यहां परिभाषित नहीं है, वही अर्थ रखेंगी जैसा कि विद्युत अधिनियम 2003, भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता, मध्य प्रदेश विद्युत ग्रिड संहिता तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति संबंधी उपाय) विनियम, 2010 में इनके लिये प्रयुक्त हैं ।

2.2 उद्देश्य (Objective)

ये मानदण्ड अनुज्ञेय सीमाओं के अंतर्गत वितरण प्रणाली के कतिपय मुख्य वितरण तंत्र के मानकों को सम्पोषित किये जाने हेतु दिशा–निर्देश निर्धारित करते हैं। ये मानदण्ड वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपनी वितरण प्रणाली को विद्युत वितरण एवं खुदरा प्रदाय हेतु एक दक्ष, विश्वसनीय, समन्वित तथा मितव्ययी संचालन में सहायता प्रदान करेंगे। इन अनुपालन मानदण्डों के निम्न उद्देश्य हैं :

(अ) यह सुनिश्चित करना कि वितरण प्रणाली अनुपालन एक न्यूनतम मानदण्ड की पूर्ति करती है जो प्रयोक्ता की संस्थापना के उचित संचालन हेतु आवश्यक है।

(ब) जिस विद्युत वातावरण में प्रयोक्ता संचालन करते हैं उसके अनुकूल प्रणालियों तथा उपकरणों के रूपांकन हेतु प्रयोक्ता को सक्षम बनाना ।

(स) वितरण प्रणाली तथा सेवाओं के मानदण्डों की गुणवत्ता में वृद्धि करना जो अल्पावधि में स्वीकारयोग्य मानदण्डों की पूर्ति करे तथा क्रमशः दीर्घावधि मानदण्डों की और अग्रसर हो।

अध्याय – 3

जानकारी का प्रस्तुतीकरण (Submission of Information)

3. अनुपालन के स्तर से संबंधित जानकारी:

3.1 प्रत्याभूतित मानदण्डों (Guaranteed Standards) के संबंध में प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी आयोग को, त्रैमासिक प्रतिवेदन में तथा एकजाई वार्षिक प्रतिवेदन में निम्न जानकारी प्रस्तुत करेगा:

इन विनियमों के संदर्भ में निर्दिष्ट निम्नांकित बिन्दुओं पर अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्राप्त किये गये अनुपालन के स्तर :

(i) किसी भी त्रैमास के अंतर्गत किसी विशिष्ट घटनाक्रम के घटित होने की संख्या ;

(ii) ऐसे प्रकरणों की संख्या, जिनमें उपलब्धि को मानदण्डों की निर्दिष्ट सीमाओं में प्राप्त कर लिया गया है;

(iii) ऐसे प्रकरणों की संख्या, जिनमें उपलब्धि को मानदण्डों की निर्दिष्ट सीमाओं में प्राप्त नहीं किया जा सका है ;

(iv) मानदण्डों के अनुपालन में निष्फल होने पर प्रभावित उपभोक्ताओं की संख्या;

(v) ऐसे प्रकरणों की संख्या जिनमें क्षतिपूर्ति प्रदान की गई एवं संकलित की गई कुल क्षतिपूर्ति राशि ; तथा

(vi) प्रत्याभूत मानदण्डों के क्षेत्र में अनुपालन सुधार हेतु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किए गये उपाय तथा अगले वर्ष के लिए अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अधिरोपित किये जाने वाले उसके अनुमानित लक्ष्यों का पूर्वानुमान ।

3.2 समग्र मानदण्डों के संबंध में, प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी आयोग को, प्रत्येक त्रैमासिक प्रतिवेदन में तथा एकजाई वार्षिक प्रतिवेदन में निम्न जानकारी प्रस्तुत करेगा :

(अ) इन विनियमों के अध्याय–9 में विनिर्दिष्ट अनुपालन के स्तर के संदर्भ में उपलब्धि; तथा

(ब) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा समग्र अनुपालन मानदण्डों के क्षेत्र में अनुपालन में सुधार हेतु किए गये उपाय तथा आगामी वर्ष हेतु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आरोपित किये जाने वाले लक्ष्यों का निर्धारण ।

3.3 प्रत्येक प्रतिवेदन हेतु प्रस्तुति की अंतिम दिनांक प्रतिवेदन त्रैमास के 30 दिवस के अन्दर होगी । अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रतिवेदन न प्रस्तुत किये जाने की दशा में आयोग द्वारा उस पर आर्थिक दण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा ।

3.4 प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आयोग को प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 42 की उपधारा (6) के अन्तर्गत आयोग द्वारा नियुक्त अथवा नमोद्दिष्ट किये गये विद्युत लोकपाल को भी प्रस्तुत की जाएगी ।

अध्याय – 4

सुरक्षा (Safety)

4.1 वितरण तन्तुपथों (लाईनों) के निर्माण, संचालन तथा संधारण कार्यों के निष्पादन में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति संबंधी उपाय) विनियम, 2010 के उपबन्धों का कड़ाई से पालन किया जाएगा ।

4.2 ऐसी दशा में जहां वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता को नोटिस दिये जाने के बावजूद, उपभोक्ता ऐसी किसी विशिष्ट शर्त अथवा निर्देश का अपरिपालन जारी रखता हो, जिसके कारण प्रणाली का संचालन तथा उसकी सुरक्षा विपरीतात्मक रूप से प्रभावित होने की संभावना हो, वहां अनुज्ञप्तिधारी ऐसे उपभोक्ता के विद्युत प्रदाय संयोजन का विच्छेद कर सकेगा। आकस्मिक परिस्थितियों में, प्रणाली के संचालन तथा सुरक्षा के हित में, विद्युत संयोजन का तुरन्त विच्छेद भी किया जा सकेगा । किये गये विद्युत प्रवाह अवरोध के मूल कारणों को समाप्त कर दिये जाने पर अथवा उसमें सुधार कर दिये जाने पर, विद्युत संयोजन को पुनर्स्थापित कर दिया जाएगा ।

अध्याय – 5

अनुपालन के मानदण्ड (Standards of Performance)

5.1 परिशिष्ट–अ में विनिर्दिष्ट किये गये मानदण्ड अनुपालन के प्रत्याभूत मानदण्ड (Guaranteed Standards) होंगे, जिन्हें वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सेवा के न्यूनतम मानदण्डों के रूप में प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

5.2 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सेवा के प्रत्याभूत मानदण्डों की उपलब्धि में चूक किये जाने पर, उसे उपभोक्ता को परिशिष्ट–अ में दर्शायेनुसार क्षतिपूर्ति का भुगतान करना अनिवार्य होगा।

5.3 अध्याय–9 में विनिर्दिष्ट किये गये मानदण्ड अनुपालन के समग्र मानदण्ड होंगे जिन्हें अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपने दायित्वों के निर्वहन में उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।

अध्याय – 6

विद्युत प्रदाय की गुणवत्ता (Quality of Supply)

6.1 **वोल्टेज में परिवर्तन (Voltage Variation):**

(अ) अनुज्ञप्तिधारी, घोषित वोल्टेज के संदर्भ में, विद्युत प्रदाय के प्रारंभिक बिन्दु पर किसी उपभोक्ता को निम्न उल्लेखित सीमाओं के अंतर्गत अपने वोल्टेजों को संधारित करेगा :

(i) निम्न वोल्टेज की स्थिति में, + 6 % एवं – 6 %;

(ii) उच्च वोल्टेज की स्थिति में, + 6 % एवं – 9 %; तथा

(iii) अतिरिक्त उच्च वोल्टेज की स्थिति में, + 10 % एवं –12.5 % (400 केवी हेतु स्वीकार्य वोल्टेज परिवर्तन + 5 % एवं – 5 % होगा)

उपरोक्त दर्शाये गये मानदण्ड पारेषण–वितरण अन्तर्मुखों (transmission-distribution interfaces) पर वोल्टेज की उपलब्धता के अंतर्गत सीमाओं के अध्यधीन ही प्रयोज्य होंगे ।

(ब) किसी वोल्टेज परिवर्तन संबंधी शिकायत प्राप्त होने पर, अनुज्ञप्तिधारी यह सत्यापित करेगा कि क्या वोल्टेज परिवर्तन उपरोक्त दर्शाये उप–अनुच्छेद (i) की सीमाओं से बाहर हैं तथा उसकी पुष्टि हो जाने पर, अनुज्ञप्तिधारी शिकायत का निराकरण 10 दिवस के भीतर करेगा, यदि नेटवर्क में विस्तार/वृद्धि किया जाना सन्निहित नहीं है तथा यह भी कि ऐसे प्रकरणों में जहां नेटवर्क के उन्नयन का कार्य सन्निहित हो, 180 दिवस अथवा उससे अधिक लगने वाले समय हेतु, जैसा कि आयोग द्वारा इसे अनुज्ञप्तिधारी के अनुरोध किये जाने पर अनुमोदित किया जाए।

6.2 **संगतता (Harmonics)**

6.2.1 अनुज्ञप्तिधारी उच्च दाब उपभोक्ताओं के संबंध में संगतता का अनुश्रवण (monitor) नियमित अन्तराल पर सामरिक महत्व के ऐसे बिन्दुओं पर करेगा जिन्हें वह संगत वोल्टेज उत्पादन (harmonic voltage generation) की ओर प्रवृत्त मानता है तथा प्रयोक्ता को विनिर्दिष्ट मानदण्डों के अनुपालन हेतु निर्देशित करेगा ।

6.2.2 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विभिन्न उपभोक्ताओं द्वारा आहरित किये जा रहे संगतता विद्युत प्रवाह (harmonics Current) के मापन किये जाएंगे तथा उसके अभिलेख संधारित किये

जाएंगे । संगतता उत्पादन करने वाले उपकरणों की अविस्तृत (non-exhaustive) सूची निम्नानुसार दर्शाई गई है :–

(ए) मुख्य पोल समक्रमिक उत्पादक इकाईयां (salient pole synchronous generating units)

(बी) आन्तरिक संतृप्ति के साथ संचालित ट्रांसफार्मर (Transformers operated with core saturation)

(सी) रोलिंग मिलें (Rolling Mills)

(डी) प्रेरित्र विद्युत–भट्टियां (Induction furnances)

(ई) वेल्डिंग उपकरण (Welding equipment)

(एफ) स्थिर ऊर्जा भार, कम्प्यूटर तथा टेलीविजन सेट को सम्मिलित करते हुये (Static power loads including computers and television sets)

(जी) प्रतीपक / विद्युत दिष्करण यंत्र (Inverter/Power rectifiers)

(एच) रेलवे–कर्षण भार (Railway Traction Loads)

6.2.3 वितरण अनुज्ञप्तिधारी वितरण प्रणाली में प्रयोज्य ग्रिड संयोजी मानकों (Grid Connectivity Standards) जैसा कि वे प्राधिकृति (Authority) द्वारा विनिर्दिष्ट किये गये हैं, में दर्शाई गई वोल्टेज तथा विद्युत प्रवाह संगतता विकृति सीमाओं (Current Harmonics Distortion Limits) का अनुसरण करेगा ।

अध्याय – 7

प्रणाली की विश्वसनीयता (Reliability of System)

7.1 वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रत्येक संभागीय मुख्यालय (Commissionary Headquarter), जिला मुख्यालय (District Headquarter) तथा औद्योगिक विकास केन्द्र (Industrial Growth Centre) के बारे में प्रत्येक प्रतिवेद्य माह (Reporting Month) की समाप्ति के पंद्रह दिवस के भीतर समस्त 11 केवी संभरकों (feeders) के बारे में निम्न मासिक जानकारी प्रस्तुत की जाएगी:

(i) मुख्यालय के सम्पूर्ण भौगोलिक क्षेत्र के विद्युत प्रदाय करने वाले 11 केवी संभरकों की संख्या

(ii) प्रभावित 11 केवी संभरकों की संख्या

(iii) समस्त संभरकों की अवरोध अवधि (Outage duration) का योग (घंटों में)

(iv) प्रति संभरक अवरोध अवधि, घंटे तथा मिनटों में

(v) प्रति संभरक, अवरोधों की कुल संख्या

(vi) व्याघातों (trippings) की कुल संख्या [जहां व्यवधानों (interruptions) की अवधि 5 मिनट से कम हो]

(vii) प्रति संभरक व्याघातों की कुल संख्या [जहां व्यवधानों (interruptions) की अवधि 5 मिनट से कम हो]

(viii) प्रतिवेदनाधीन क्षेत्र, का संभरक विश्वसनीयता सूचकांक (Feeder Reliability Index under report)

संभरक विश्वसनीयता सूचकांक (Feeder Reliability Index) (प्रतिशत में)=

$$\frac{\text{(11केवी संभरकों की संख्या* माह के दौरान कुल घंटों की संख्या)-(समस्त संभरकों की अवरोध अवधि का योग)*100}}{\text{(11केवी संभरकों की संख्या*माह के दौरान कुल घंटों की संख्या)}}$$

7.2 अवरोधों के अन्तर्गत ऐसे समस्त अवरोध (Outages) शामिल किये जाने चाहिये, जो विद्युत व्यवस्था के भंग होने (breakdown), ग्रिड के प्रतिबंधों (Grid constraints), नियोजित तौर पर विद्युत प्रदाय बंद करने (planned shut downs) तथा अनियोजित अथवा विवशतापूर्ण विद्युत प्रदाय बंद करने (unplanned or forced shut downs) के कारण उद्‌भूत हो। ऐसे स्थानों के लिये, जहां शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के विद्युत प्रदाय करने वाले संभरक सांझे या पृथक 33/11 केवी उपकेन्द्रों से प्रसारित हो रहे हैं, वहां अनुज्ञप्तिधारी ऐसे सूचकांकों के मूल्य की गणना, शहरी क्षेत्रों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा प्रदान करने वाले संभरकों के समूह (cluster) हेतु पृथक–पृथक करेंगे।

7.3 आयोग द्वारा प्रारंभिक रूप से विद्युत प्रदाय व्यवधानों (Interruptions) मानकों के निम्न स्तर निर्धारित किये गये हैं:

विद्युत व्यवधान मानदण्डों के स्तर (Level of Supply Interruption Parameters)

विवरण	संभागीय मुख्यालय	जिला मुख्यालय	औद्योगिक विकास केन्द्र
प्रति संभरक प्रति माह अवरोधों की संख्या	5*	25*'	5*
प्रति संभरक प्रतिमाह अवरोध की अवधि, घंटे तथा मिनटों में	300 मिनट/5 घंटे*	900 मिनट/15 घंटे	300 मिनट/5 घंटे
विश्वसनीयता सूचकांक (प्रतिशत में)	99.5%	98%	99.5%

*दर्शाई गई सीमा तक व्यवधानों की अवधि के लिये आयोग की पूर्व अनुमति आवश्यक नही होगी तथा इस सीमा के बाद अनुज्ञप्तिधारी को सुसंबद्ध माह की समाप्ति के 15 दिवस के भीतर अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

अध्याय – 8

अनुपालन में कमी पाये जाने पर क्षतिपूर्ति (मुआवजा)
(Compensation in Case of Under Performance)

8.1 यदि कोई अनुज्ञप्तिधारी इस विनियम में विनिर्दिष्ट मानदण्डों को पाने में विफल रहता है, ऐसी दशा में बिना किसी भेदभाव के, जो भी अर्थदण्ड उस पर अधिरोपित किया जाए, वह प्रभावित उपभोक्ता को देय क्षतिपूर्ति का भुगतान देयक (बिल) में छूट (रिबेट) के माध्यम से प्रदान करेगा । यह छूट आयोग द्वारा **परिशिष्ट 'अ'** में आयोग द्वारा अवधारित दर पर, ऐसे उपभोक्ताओं को जिन्होंने पिछले छः माह की अवधि के दौरान अपने देयकों का भुगतान नियमित रूप से किया हो, के अनुसार ही प्रदान की जाएगीः

परन्तु आयोग द्वारा वास्तविक क्षतिपूर्ति प्रदान किये जाने संबंधी निर्णय लेते समय निम्न कारकों पर विचार किया जा सकेगाः

(अ) उपभोक्ता को पंहुचे कष्ट; तथा

(ब) उपभोक्ता का औसत मासिक देयक

8.2 उपभोक्ता को इस प्रकार का दावा प्रत्याभूत मानदण्डों के उल्लंघन के तीस दिवस के अन्दर प्रस्तुत करना होगा।

8.3 ऐसी घटनाओं के अंतर्गत जहां एक से अधिक उपभोक्ता प्रभावित हो रहे हों, इन विनियमों के परिशिष्ट–अ में निर्दिष्ट क्षतिपूर्ति का भुगतान, समस्त संबंधित उपभोक्ताओं की उपभोक्ता सूची (consumer indexing) में आंकड़े उपलब्ध हो जाने के उपरान्त ही प्रयोज्य होगा।

8.4 अनुज्ञप्तिधारी को क्षतिपूर्ति भुगतान किये जाने का कोई दायित्व वहन नहीं करना होगा यदि उसे उपभोक्ता को यथोचित सेवाएं परिसर में पहुंचाने में किन्हीं बाधाओं के कारण विलंब हुआ हो तथा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा यह सिद्ध कर दिया गया हो कि म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता 2004 में दी गई प्रक्रिया के अन्तर्गत उपभोक्ता को योग्य सूचना–पत्र तामील कर दिया गया था ।

8.5 विनियम 8.1 के अन्तर्गत अनुज्ञप्तिधारी द्वारा तत्संबंधी मानदण्ड के संबंध में भुगतान की गई क्षतिपूर्ति राशि की वसूली आंशिक अथवा पूर्ण रूप से यह दृष्टिगत रखते हुए कि अनुज्ञप्तिधारी किस सीमा तक समग्र रूप से अनुपालन मानदण्डों की उपलब्धि में सक्षम रहा है, अनुज्ञप्तिधारी की राजस्व आवश्यकता में की जा सकेगी जैसा कि इनका मापन निम्न विनियमों में अन्तर्विष्ट अंकेक्षण प्रतिवेदन के माध्यम से किया गया हो।

अंकेक्षण प्रतिवेदन की विषयवस्तु (Contents of Audit Report)

8.6 अंकेक्षण प्रतिवेदन में निम्न विशिष्ट विषयों का निराकरण किया जाएगा:

(अ) विनियमों के अनुसार प्रक्रियाओं तथा प्रपत्रों का परिपालन किया जाना;

(ब) शिकायत केन्द्रों (Call Centres)/शिकायत निवारण केन्द्रों (Complaint Handling Centres)/ग्राहक सहायता केन्द्रों (Customer Care Centres) में लगाये गये पदाधिकारियों को उनके कर्त्तव्यों के प्रति शिकायत संव्यवहार प्रक्रियाओं, गुणवत्ता मानदण्डों तथा प्रशिक्षण पर्याप्तता के बारे में उनके ज्ञान का आकलन करना;

(स) आंकड़ों का संग्रहण तथा प्रबन्धन प्रक्रियाओं की विधियों संबंधी ; तथा

(द) गुणवत्ता मानदण्ड़ों के बारे में उनकी विश्वसनीयता तथा परिशुद्धता के बारे में सुसंबद्ध अभिलेखों की समीक्षा (समुचित नमूना प्रक्रियाओं के अनुसार) करना ।

8.7 विद्युत नियामक आयोग अपने पदाधिकारियों को या स्वतंत्र अभिकरण(ों) को अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा मानदण्डों के परिपालन के अनुवीक्षण के प्रयोजन से वार्षिक जांच हेतु तथा आयोग को अंकेक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने हेतु प्राधिकृत कर सकेगा।

8.8 अभिकरण(ों) [Agency (ies)] के विनियोजन में निम्न प्रक्रिया अपनाई जाएगी:

(ए) अंकेक्षण कार्य का उद्देश्य तथा आयोग द्वारा कार्यान्वित किये जाने अंकेक्षण कार्य हेतु निर्धारित की जाने वाली क्रियाविधि (methodology);

(बी) आयोग द्वारा अनुमोदित अभिकरण(ों) को चिन्हांकित किया जाएगा तथा अनुमोदित नामसूची (panel) प्रकाशित की जाएगी;

(सी) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अभिकरणों की अधिसूचित नामसूची में से किसी एक अभिकरण को नामोद्दिष्ट (nominate) किया जाएगा ;

(डी) अनुज्ञप्तिधारी किसी भी अभिकरण को निरन्तर दो वर्षो से अधिक की अवधि के लिये नियोजित नहीं करेंगे। वे ऐसे किसी अभिकरण को भी नियोजित नहीं करेंगे जो वर्तमान में उनके वैधानिक अंकेक्षक (statutory auditor) अथवा आन्तरिक अंकेक्षक (internal auditor) हैं या फिर जिसे परामर्शी (consultant) के रूप में नियोजित किया गया हो ;

(ई) अंकेक्षण कार्य का निष्पादन नामोद्दिष्ट अभिकरण तथा अनुज्ञप्तिधारी के मध्य एक अनुबन्ध के माध्यम से किया जाएगा; तथा

(एफ) अंकेक्षण अभिकरण के पारिश्रमिक (remuneration) का भुगतान अनुज्ञिप्तिधारी द्वारा किया जाएगा।

अंकेक्षण कार्य की क्रियाविधि (**Auditing Methodology**)

8.9 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुपालन मानदण्डों (Performance Standards) के बारे में प्रस्तुत किये गये अंकेक्षण प्रतिवेदन का क्रम निर्धारण (grading) दो भागों में यथा, आंकड़ों की विश्वसनीयता तथा परिशुद्धता (reliability and accuracy of data) के बतौर किया जाएगा।

8.10 अनुपालन मानदण्डों को प्रतिवेदित किये जाने के बारे क्रम निर्धारण प्रणाली (grading system) निम्नानुसार होगी:

विश्वसनीयता क्रमसूची (**Reliability Grade**)	विश्वसनीयता क्रमसूची का आकलन (**Assesment of reliability grade**)
ए (A)	उचित अभिलेखों तथा पर्याप्त प्रक्रिया के आधार पर निष्पादित किये गये मानदण्ड
बी (B)	आंकड़ों में उल्लेखनीय प्रक्रिया संबंधी विसंगतियां पाई गईं
सी (C)	असंतोषजनक आंकड़े प्रस्तुत किये गये

8.11 केवल ऐसे प्रकरणों में जहां विश्वसनीयता क्रमसूची 'ए' स्तर की पायी गई हो, उपलब्धि के बारे में किसी दावे के मापन पर आगे किसी प्रकार का विश्लेषण किया जाएगा।

परिशुद्धता क्रमसूची (**Accuracy Grading**)

8.12 जहां प्रस्तुत किये गये आंकड़ों की विश्वसनीयता क्रमसूची 'ए' स्तर की पाई गई हो, केवल वहां प्रस्तुत की गई जानकारी की परिशुद्धता के आकलन हेतु आंकड़ों में आगे किसी प्रकार का विश्लेषण किया जाएगा।

8.13 समग्र मानदण्डों की उपलब्धि पर प्रस्तुत की गई जानकारी की परिशुद्धता क्रमसूची पर आधारित भुगतान की गई क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिशत, आयोग द्वारा अनुज्ञप्तिधारी की सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता में, निम्न तालिका में दर्शायेनुसार अनुज्ञेय किया जा सकेगा:

परिशुद्धता क्रमसूची	आकलित परिशुद्धता स्तर	सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता के माध्यम से भुगतान की क्षतिपूर्ति का वसूली योग्य प्रतिशत
1	+/-2%	100%
2	+/-5%	85%
3	+/-10%	70%

8.14 तकनीकी मानक (**Technical Standards**) :

अनुज्ञप्तिधारी द्वारा चयनित उसके प्रचालन क्षेत्र में, वोल्टेज विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने हेतु चरणबद्ध रूप से एक योजना तैयार की जायेगी । यह योजना इन विनियम के

अधिसूचित होने की दिनांक से 6 माह के अन्दर आयोग को प्रस्तुत की जाएगी तथा अनुमोदित कराई जाएगी । आयोग उपभोक्ताओं से वोल्टेज विश्वसनीयता प्रभार (voltage reliability charge) पर विचार कर सकेगा। वोल्टेज परिवर्तनों (voltage variations) एवं संगतता (Harmonics) के कारण देय क्षतिपूर्ति, इस विनियमों की अधिसूचना दिनांक से एक वर्ष उपरांत लागू की जाएगी। तत्पश्चात्, आयोग उपभोक्ता के उपकरण की क्षति से हुई हानि की क्षतिपूर्ति के बारे में तृतीय पक्ष द्वारा सत्यापन के आधार पर विचार कर सकेगा।

अध्याय – 9

अनुपालन के समग्र मानदण्ड (Overall Standards of Performance)

9.1 **सामान्य फ्यूज–आफ कॉल (Normal Fuse-off Calls)** : अनुज्ञप्तिधारी इन विनियमों में दर्शायेनुसार सुधार किये गये फ्यूज–ऑफ काल का प्रतिशत विनिर्दिष्ट समय–सीमा के अन्तर्गत सुनिश्चित करेगा । अनुज्ञप्तिधारी अनुपालन मानदण्ड न्यूनतम 95 प्रतिशत प्रकरणों में निष्पादित करेगा।

9.2 **लाईन भंग होना (Line Breakdowns)** : लाईन में विद्युत प्रदाय व्यवस्था भंग हो जाने पर, अनुज्ञप्तिधारी इन विनियमों में विनिर्दिष्ट समय–सीमा में प्रतिस्थापन किया जाना सुनिश्चित करेगा । अनुज्ञप्तिधारी अनुपालन मानदण्ड न्यूनतम 95 प्रतिशत प्रकरणों में निष्पादित करेगा।

9.3 **उपभोक्ता की पूछताछ पर प्रत्युत्तर (Response to Consumer query)** : किसी इकाई (यूटिलिटी) द्वारा किसी उपभोक्ता को उसके बकाया के संबंध में अद्यतन स्थिति जानने हेतु अथवा प्रदाय में व्यवधान संबंधी पूछताछ का प्रत्युत्तर पूछताछ तिथि से पांच दिवस के भीतर करना होगा । अनुज्ञप्तिधारी को इस बारे में किसी पत्र का उत्तर, तत्परता से देना होगा । अनुज्ञप्तिधारी अनुपालन मानदण्ड न्यूनतम 99 प्रतिशत प्रकरणों में निष्पादित करेगा।

9.4 **वितरण ट्रांसफार्मरों की असफलता (Distribution Transformer Failures)**: अनुज्ञप्तिधारी विनिर्दिष्ट समय–अवधि के अन्तर्गत बदले गये वितरण ट्रांसफार्मरों का प्रतिशत परिशिष्ट 'अ' में निर्दिष्ट अनुसार संधारित करेगा ।

9.5 **अनुसूचित अवरोध की अवधि (Scheduled Outage period)** अनुसूचित अवरोध के कारण विद्युत प्रदाय में व्यवधान को अग्रिम रूप से प्रकाशित किया जाएगा तथा यह अवधि परिशिष्ट–1 में निर्दिष्ट किये गये अनुसार एक दिवस में दर्शाये गये घंटों से अधिक न होगी

तथा अनुज्ञप्तिधारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि विद्युत प्रदाय को उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट समय–सीमा के भीतर प्रतिस्थापित कर दिया जाए ।

9.6 **पथ–प्रकाश दोष (Street Light Faults)**: अनुज्ञप्तिधारी पथ–प्रकाश व्यवस्था के कार्य न करने अथवा उसके उपयुक्त रूप से संचालन न होने संबंधी शिकायतों को उस सीमा तक दूर करेगा जहां तक वह अनुज्ञप्तिधारी के अधिकार–क्षेत्र में आती हो ।

9.7 **देयकों में त्रुटियां (Billing Mistakes)**: देयकों में त्रुटियों के न्यूनतम 99 प्रतिशत प्रकरणों का निपटान समय–सीमाओं के भीतर किया जाएगा ।

9.8 **त्रुटिपूर्ण मापयंत्र (Faulty meters)**: शहरी क्षेत्रों में न्यूनतम 99.5 प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम 98 प्रतिशत प्रकरणों का निपटान समय–सीमाओं के भीतर किया जाएगा ।

9.9 **नवीन संयोजन/अस्थाई विद्युत प्रदाय/अतिरिक्त भार संबंधी आदेश जारी किये जाने पर लगने वाला समय (Time taken for releasing New connections/Temporary supply/Additional load)**: नवीन संयोजन, अस्थाई विद्युत प्रदाय एवं अतिरिक्त भार हेतु समस्त प्रकरणों (100%) में, किसी आवेदक/उपभोक्ता के आवेदन का निपटान समय–सीमाओं के भीतर किया जाएगा ।

9.10 **स्वामित्व अन्तरण एवं श्रेणी परिवर्तन (Transfer of ownership and conversion of service)**: स्वामित्व अन्तरण एवं श्रेणी परिवर्तन से संबंधित न्यूनतम 98 प्रतिशत प्रकरणों का निपटान समय–सीमाओं के भीतर किया जाएगा ।

अध्याय – 10

घटनाओं के अन्तर्वेशन तथा अपवर्जन (Inclusions and Exclusions of Events)

10.1 विद्युत व्यवधान (Power interruption) में वितरण प्रणाली में किसी विद्युत अवरोध (Outage) जिसका विस्तार वितरण उपकेन्द्र (Distribution sub-station) से उपभोक्ता मापयन्त्र (Consumer meter) तक होगा, को शामिल किया जाएगा, जो संरक्षात्मक उपकरणों (Protective devices) में दोष आ जाने पर वितरण तन्तुपथों और/या ट्रांसफार्मरों के विफल हो जाने पर व्याघात क्रिया (tripping action) के कारण उद्‌भूत हुआ हो तथा जिसकी परिणति एक या एक से अधिक उपभोक्ताओं को विद्युत प्रदाय की हानि के रूप में हुई हो।

10.2 इन विनियमों के अन्तर्गत अनुपालन मानदण्डों का अनुप्रयोग निम्न घटनाओं में स्थगित रखा जाएगा:

(अ) प्राकृतिक/आकस्मिक विपदा (force majeure) संबंधी घटनाएं, जैसे कि युद्ध, सैन्य विद्रोह, नागरिक संक्षोभ, दंगों, बाढ़, चक्रवात, तडित, भूकंप और अन्य बल तथा हड़ताल, तालाबन्दी, अनुज्ञप्तिधारी की संस्थापनाओं तथा गतिविधियों को प्रभावित करने वाले अग्निकाण्ड के दौरान;

(ब) विद्युत उत्पादन के विफल होने अथवा पारेषण तन्त्र के विफल हो जाने के कारण विद्युत प्रदाय में अवरोध (Outages);

(स) विद्युत प्रदाय में अवरोध, जो राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र (National Load Despatch Centre)/ क्षेत्रीय भार पारेषण केन्द्र (Regional Load Despatch Centre)/ राज्य भार प्रेषण केन्द्र (State Load Despatch Centre) द्वारा उनकी सुविधाओं के विफल हो जाने पर उन की पहल पर किये गये हों; तथा

(द) अन्य घटनाओं से उद्‌भूत विद्युत अवरोध, जिनके संबंध में आयोग द्वारा स्वीकृति यथोचित सूचना तथा सुनवाई के उपरान्त की जाएगी।

10.3 समस्त प्राकृतिक/आकस्मिक विपदाजन्य परिस्थितियां, जिस दिनांक से वे प्रथमतः उद्‌भूत हुई हों, से उन्हें 30 दिवस के अन्दर आयोग को प्रतिवेदित किया जाएगा ।

अध्याय – 11

विविध (Miscellenous)

संशोधन के अधिकार (Power to Amend)

11.1 आयोग किसी भी समय इन विनियमों में परिवर्धन, परिवर्तन, सुधार या संशोधन कर सकेगा।

11.2 किसी विवाद की दशा में, प्रकरण को आयोग को निर्दिष्ट किया जा सकेगा, जिसका इस बारे में निर्णय अंतिम होगा।

कठिनाईयां दूर करने की शक्ति (Power to Remove difficulties)

11.3 आयोग स्वःप्रेरणा से या किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर, इन विनियमों की समीक्षा कर सकेगा, तथा इन विनियमों के उपबन्धों के क्रियान्वयन में कठिनाई दूर करने हेतु समुचित आदेश पारित कर सकेगा।

11.4 आयोग इस आशय से जारी किसी सामान्य अथवा विशिष्ट आदेश द्वारा तथा अनुज्ञप्तिधारी तथा उपभोक्ता समूह की सुनवाई द्वारा उपभोक्ता को किसी भी अनुपालन के मानदण्ड संबंधी दोष से उपभोक्ता की क्षतिपूर्ति के दायित्व से मुक्त कर सकेगा, यदि आयोग संतुष्ट हो कि ऐसा दोष अनुज्ञप्तिधारी के कारण न होकर कतिपय अन्य कारणों से है तथा अनुज्ञप्तिधारी ने अन्य प्रकार से अपने दायित्वों के निर्वहन हेतु प्रयास किये हैं ।

11.5 इन विनियमों में कुछ भी आयोग की अर्न्तनिहित शक्तियों को ऐसे आदेश जो न्यायहित में या आयोग की प्रक्रियाओं में दोष रोकने के लिये जारी करना आवश्यक है सीमित या अन्यथा प्रभावित नहीं करेगा ।

11.6 इन विनियमों में कुछ भी आयोग को इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप किसी विषय या विषयों के वर्ग की विशिष्ट परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, लिखित कारणों सहित यदि आयोग आवश्यक व उचित समझे तो ऐसी प्रक्रिया अपनाने में नहीं रोकेगा जो इन विनियमों के प्रावधानों से अन्यथा हो ।

11.7 इन विनियमों में विशिष्ट या अन्तर्गत कुछ भी आयोग को किसी अधिकार के उपयोग से नहीं रोकेगा जिसके लिये कोई विनियम नहीं बनाया गया हो तथा आयोग ऐसे विषयों, अधिकारों तथा कार्यों को उस प्रकार से, जेसे वह उचित समझे, निवर्तित कर सकेगा ।

निरसन एवं व्यावृत्ति (Repeal and Saving) :

11.8 मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (वितरण अनुपालन मानदण्ड) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2005 जिसे मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 26.09.2005 को क्रमांक 2320–मप्रविनिआ–05 द्वारा प्रकाशित किया गया है तथा म.प्र.राजपत्र में 28.10.2005 को अधिसूचित किया गया है, सहपठित समस्त संशोधनों के जो विनियम की विषय वस्तु से प्रयोज्य हों, को एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है ।

आयोग के आदेशानुसार,
पी. के. चतुर्वेदी, आयोग सचिव.

परिशिष्ट–अ

अनुपालन के प्रत्याभूतित मानदण्ड एवं प्रत्येक प्रकरण में त्रुटि हेतु उपभोक्ताओं को देय क्षतिपूर्ति का स्तर

(Guaranteed Standards of Performance and Level of Compensation payable to consumers for default in each case)

सेवा क्षेत्र	प्रत्याभूतित मानदण्ड	प्रभावित उपभोक्ता को देय क्षतिपूर्ति राशि
(i) सामान्य फ्यूज ऑफ काल पर अनुक्रिया तथा सुधार कार्य		
शहर तथा नगर	कार्य दिवसों में 4 घंटों के अन्दर तथा अकार्य दिवसों में 5 घंटों के अन्दर	शिकायत के सुधार में विलंब होने पर, रू. 100 प्रति दिवस (अथवा उसका अंश)
ग्रामीण क्षेत्र	24 घंटों के अन्दर	
(ii) लाईन भंग (breakdown) के कारण विद्युत प्रदाय की पुनर्स्थापना (खंभों (पोल) का टूटना व उखड़ना असम्मिलित)		
शहर तथा नगर	दिन के प्रकाश में, 12 घंटों के अन्दर	विद्युत प्रदाय की पुनर्स्थापना किये जाने तक विलंब होने पर रू. 100 प्रति दिवस (अथवा उसका अंश)
ग्रामीण क्षेत्र	तीन दिवस के अन्दर	
(iii) वितरण ट्रांसफार्मर के विफल होने पर		
संभागीय मुख्यालयों में, ट्रांसफार्मर बदला जाना अथवा विद्युत प्रदाय की पुनर्स्थापना करना	12 घंटे के अन्दर	विशिष्ट ट्रांसफार्मर के माध्यम से सेवाकृत समस्त उपभोक्ताओं को, प्रति उपभोक्ता रू. 100/– की दर से
संभागीय मुख्यालयों को छोड़कर, शहरी क्षेत्रों में, ट्रांसफार्मर बदला जाना अथवा विद्युत प्रदाय की पुनर्स्थापना करना	24 घंटे के अन्दर	
ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रांसफार्मर बदला जाना अथवा विद्युत प्रदाय की पुनर्स्थापना करना	शुष्क मौसम के दौरान 72 घंटे के अन्दर तथा मानसून के मौसम के दौरान (माह जुलाई से सितम्बर तक) सात दिवस के अन्दर	

(iv) अनुसूचित अवरोध अवधि (एक वर्ष में चार बार से अनाधिक)		
एक बार में अधिकतम अवधि	12 घंटे से अनाधिक	विलंब होने पर, रू. 100 प्रति दिवस (अथवा उसका अंश)
(v) मापयंत्र (मीटर) संबंधी शिकायतें		
निरीक्षण तथा शुद्धता की जांच	सात दिवस में	विलंब होने पर, रू. 100/– प्रति सप्ताह (अथवा उसका अंश)
धीमें, रेंगते हुए या रूके हुए मापयंत्रों की प्रतिस्थापना	ग्रामीण क्षेत्रों में 30 दिवस में तथा शहरी क्षेत्रों में 15 दिवस की अवधि में	
जले हुए मापयंत्रों की प्रतिस्थापना, यदि इसका कारण उपभोक्ता पर आरोपित न किया गया हो	शिकायत प्राप्ति से 7 दिवस की अवधि में	
अन्य प्रकरणों में, जले हुए मापयंत्रों की प्रतिस्थापना	उपभोक्ता द्वारा प्रभारों के भुगतान के 7 दिवस की अवधि में	
(vi) नवीन संयोजन/संविदा मांग में वृद्धि/संविदा मांग में कमी हेतु आवेदन		
निम्न दाब प्रकरण में लक्ष्य से विचलन	जैसा कि इसे विद्युत प्रदाय संहिता में अधिसूचित किया गया है	विलंब होने पर, रू. 100/– प्रति दिवस (अथवा उसका अंश)
उच्च दाब तथा अति उच्च दाब प्रकरण में लक्ष्य से विचलन	जैसा कि इसे विद्युत प्रदाय संहिता में अधिसूचित किया गया है	विलंब होने पर, रू. 200/– प्रति दिवस (अथवा उसका अंश)
(vii) सेवा में परिवर्तन (Conversion of service)		
श्रेणी परिवर्तन (change of category)	औपचारिकताओं के पूर्ण होने पर, 10 दिवस में	विलंब होने पर, रू 100/– प्रति दिवस (अथवा उसका अंश)
निम्न दाब एकल फेस से निम्न दाब तीन फेज	प्रभारों के भुगतान की तिथि तथा परीक्षण प्रतिवेदन जमा करने की तिथि से 30 दिवस	

एवं यथा विलोम (vice versa) रूपांतरण	के अन्दर तथा यदि लाईन का विस्तार अपेक्षित हो तो 90 दिवस के अन्दर	
(viii) उपभोक्ता के देयकों से संबंधित शिकायतों का निराकरण		
यदि अतिरिक्त जानकारी अपेक्षित न हो, तो	शिकायतों का निराकरण शिकायत प्राप्ति के उसी दिवस को करना होगा (उच्च दाब उपभोक्ताओं को छोड़कर)	विलंब होने पर रू. 100/– प्रति दिवस (अथवा उसका अंश)
यदि अतिरिक्त जानकारी संग्रहीत नहीं की जाना हो, तो	शिकायत प्राप्त होने के उपरांत, शहरी क्षेत्रों में 5 दिवस के अन्दर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 10 दिवस के अन्दर	
(ix) संयोजन के विच्छेद के उपरांत विद्युत प्रदाय का पुनर्संयोजन		
नगर तथा शहर	उपभोक्ता द्वारा देय भुगतान की प्राप्ति से 4 घंटे के अन्दर	विलंब होने पर, रू. 100/– प्रति दिवस (अथवा उसका अंश)
ग्रामीण क्षेत्र	उपभोक्ता द्वारा देय भुगतान की प्राप्ति से 48 घंटे के अन्दर	
(x) अस्थाई संयोजनों की स्वीकृति		
निम्न दाब, उच्च दाब तथा अति उच्च दाब उपभोक्ता	जैसा कि इसे विद्युत प्रदाय संहिता में अधिसूचित किया गया है।	विलंब होने पर, रू. 100/– प्रति दिवस (अथवा उसका अंश)